भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 256

21.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

फेम ।। इलेक्ट्रिक गतिशीलता योजना के अंतर्गत विलंबित कार्यान्वयन और उपयोग में कमी

256. **श्री अरुण कुमार सागरः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए केंद्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम-II) स्कीम तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के संबंध में इन योजनाओं के अंतर्गत किए गए विशिष्ट प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के तत्वावधान में अब तक बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इन इलेक्ट्रिक वाहन योजनाओं की सुलभता के संबंध में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं; और

(क) देश भर में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में इन योजनाओं का समग्र प्रभाव क्या रहा है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास तथा चार्जिंग स्टेशनों के प्रावधान के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का विवरण निम्नानुसार है :

(i) भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम चरण-II: सरकार द्वारा इस स्कीम का कार्यान्वयन 01.04.2019 से 31.03.2024 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए ₹11,500 करोड़ के कुल बजटीय

प्रावधान के साथ किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन तथा ई-बसों और इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान किया गया। फेम इंडिया स्कीम -चरण-II के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया सहित लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 5,197 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) तैनात की जा चुकी हैं। साथ ही, देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए योजना के अंतर्गत ₹912.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई।

(ii) **भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** सरकार ने 23 सितंबर 2021 को भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ईवी सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को अधिसूचित किया ।

(iii) **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने 09.06.2021 को देश में को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य एसीसी बैटरी के 50 गीगा वाट घंटा के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(iv) **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम:** ₹10,900 करोड़ के परिव्यय वाली इस स्कीम की अधिसूचना 29.09.2024 को जारी की गई। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस तथा ई-एम्बुलेंस सहित लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की स्थापना तथा परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन के लिए भी अनुदान उपलब्ध है। स्कीम के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए ₹4,391 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से 13,800 ई-बसें चार मिलियन (40 लाख) से अधिक जनसंख्या वाले सात शहरों नामत: दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे तथा सूरत को आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए 200 ई-बसों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही, अखिल भारतीय स्तर पर ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किये गए है।

(v) **पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम :** 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा चूक के मामले में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(vi) **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम (एसपीएमईपीसीआई)** को भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश करना और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% डीवीए और पांचवें वर्ष के अंत में 50% का डीवीए प्राप्त करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं :-

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों तथा इलेक्टिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

(ii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी चालित वाहनों को हरे रंग की पंजीकरण (ग्रीन) नंबर प्लेट प्रदान की जाएगी तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

(iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ईवी पर सड़क कर में छूट प्रदान करने के संबंध में परामर्श जारी किया है, जिससे ईवी की प्रारंभिक खरीद लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

(ग): 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत समर्थित ईवी की संख्या निम्नानुसार है :

स्कीम	फेम-I	फेम-II (बिक्री किए गए)	पीएम ई-ड्राइव स्कीम (बिक्री किए गए)	पीएलआई ऑटो और ऑटो संघटक (बिक्री किए गए)
सहायता प्रदान /बिक्री किए गए	2.80 लाख	16.72 लाख	26.59 लाख	~21.30 लाख (31.03.2026

ईवी				तक)

(घ): देशभर में ईवी को व्यापक रूप से अंगीकृत किया गया है तथा इस संबंध में किसी प्रमुख चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है।

(ङ): इन पहलों/स्कीमों के परिणामस्वरूप देश में ईवी के अंगीकरण की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में 0.08 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8.26 प्रतिशत हो गई है।

*****